न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, R.A.S.

राजस्व वाद सं. : 24/2002
दायरा तिथि : 25.06.2002
निर्णय तिथि : 15.11.2016

प्रार्थीः–
1– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

बनामः

अप्रार्थीः–
1– स्व. नेमीया पुत्र देवा के का.मु केसा, दीपा, सोना, पुत्रगण स्व. नेमीया, स्व. छोगा के का.मु. स्व. सवीया के का.मु. भोली, विमला पुत्रिया स्व. सवीया, जाति मेघवाल निवासीगण बसंत, तह0 सुमेरपुर
2– स्व. वाला के का.मु. हरिसिंह, भंवरसिंह, बेरीलाल, देवीलाल, पुत्रगण देवीबाई पुत्री स्व. वाला स्व. रामा पुत्र मकना के का.मु. पेपीदेवी पत्नी रामा, जडावीदेवी पुत्री रामा, स्व. पूनमा के का.मु. भैरूसिंह, किस्तुरसिंह , अर्जुनसिंह पुत्रगण पुनमा
3–स्व. तेजा पुत्र राजाजी के का.मु. बाबुसिंह, भैरूसिंह पुत्र तेजाजी,
4–स्व. गंगाराम पुत्र सादुजी के का.मु. कपुरसिह, शंकरसिंह, स्व. सुरजमल पुत्र गंगाराम के का.मु. इन्द्रसिंह, भवानीसिंह पुत्रगण स्व. सुरजमल, श्रीमती उगीदेवी पत्नी स्व. सुरजमल
5– जोगसिंह, रूपसिंह पि. भुराजी जातिगण पुरोहित निवासीगण बसंत तह0 सुमेरपुर (पाली),

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि :– 15-11.2016

(1) यह है कि प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी), बाली वर्तमान तहसील सुमेरपुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 अप्रार्थीगणों के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बसंत तहसील सुमेरपुर मे स्थित कृषि भूमि गत खसरा नं. 236 रकबा का 1/8 बीघा किस्म गै.मु. बेरा (मिसल बंदोबस्त संवत 2010 से 2020) में सें नेमिया वल्द देवा जाति भाम्बी (मेगवाल) निवासी बसंत का 1/4 हिस्सा दर्ज था। उक्त खसरा नं. 236 के बाद चकबंदी में मिसल हकियत संवत 2015 में नये खसरा नं. 234 बने जिसका रकबा 1/8 बीघा किस्म गै.मु. बेरा मे सें नेमिया वल्द देवा जाति भाम्बी (मेगवाल), निवासी बसंत का 1/4 हिस्सा विधि–प्रावधानों के विपरित राजस्व रेकर्ड से हटाकर अप्रार्थी सं. 02 लगाय 05 के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी व मौके पर काबिज हो गये और इस प्रकार की विधि–विरूद्ध कार्यवाही असंवैधानिक है। अप्रार्थी सं. 01 अनुसूचित जाति का होने से अप्रार्थीगण संख्या 02 लगाय 05 जो कि स्वर्ण जाति सदस्यगण ने वर्तमान खसरा सं. 391 रकबा 0.05 हेक्टर किस्म गै.मु. मे सें 1/4 हिस्सा की भूमि हटवाकर राजस्व रेकर्ड में अवैध रूप से बिना किसी वैद्य रजिस्टर्ड दस्तावेज के अपने नाम दर्ज करवादी गई। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसचित जनजाति के सदस्यों की खातेदारी कृषि भूमि या उनके हक–हिस्से की कृषि

लगातार– पेज 02.....

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)

भूमि सवर्ण जाति के किसी भी सदस्य के नाम दस्तावेज या हस्तान्तरण द्वारा अन्तरण या काश्त–काबिज होना न्यायसंगत नहीं माना है और इसे असंवैधानिक करार दिया है।

(1) यह है यह है कि कथित प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पटवारी हल्का बसंत व भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव ने रेकर्ड व मौका स्थिति के बारे में जांच रिपोर्ट पेश की, जिसे रेकर्ड पर लिया गया। हमने, तहसीलदार सुमेरपुर की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन कर गहन परीक्षण किया। यह मामला सरहद मौजा बसंत तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि गत् खसरा नं. 234 रकबा 0.09 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा जिसके नये खसरा नं. 391 रकबा 0.05 हेक्टर किस्म गै.मु. बेरा बने है। जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2064 से 2067 तक के खाता सं. 126 में भंवरसिंह, हरिसिंह, बेरीलाल, देवीसिह पुत्र बालुसिंह, देवी पुत्री बालुसिंह , पेपी पत्नी रामसिंह, जरावी पुत्री रामसिंह, भैरा, कस्तुरा, अर्जुन पुत्र पुनमा 1/2 , रूपा, बाबु, भेरा पि. तेजा 1/4, सुरजमल, कपुरसिंह,शंकरसिह पि. गंगारामा 1/8 , जोगा, रूपा पि. भूरा 1/8, जातिगण पुरोहित निवासी बसंत, खातेदार दर्ज है। मौके पर जमाबंदी संवत 2064 से 2067 तक के उक्त खातेदार व स्व. सुरजसिंह के का.मु. इन्द्रसिंह, भवानीसिंह पुत्र सुरजसिंह जाति पुरोहित साकिन बसंत का कब्जा कास्त है।

फलतः प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति पर विचारण पश्चात् यह स्पष्ट है कि उपरोक्त कृषि भूमि के वादग्रस्त 1/4 हिस्से पर भूमि मेगवाल कौम जो अनुसूचित जाति के सदस्य है की भूमि पर सवर्ण जाति का असंवैधानिक कब्जा काश्त होने से हमारे विधिक विचारों में यह मामला कतिपय प्रावधान RTAct,1955 की धारा 175 की उपधारा 42(B) के तहत शर्तो का स्पष्टतः उल्लंघन है और ऐसी विधिक स्थिति में उल्लेखित कृषि भूमि का वादग्रस्त 1/4 हिस्सा भूमि जिस पर उपरोक्त वर्णित सवर्ण जाति के व्यक्ति काबिज है, को बेदखल करते हुए इस हिस्सा भूमि को राज्यहित में सिवायचक घोषित कर कब्जा सरकार लिए जाने हेतु आदेश पारित करना न्यायोचित समझंते है।

अतः उल्लेखित विवेचनाओं व विश्लेषण के परिणामतः वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा बंसत तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 391 रकबा 0.05 हेक्टर किस्म गै.मु. बेरा के 1/4 हिस्से पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों का असंवैधानिक तौर से कब्जा काश्त है, को कतिपय प्रावधान राजस्थान कास्तकारी अधिनियम , 1955 की धारा 175 की उपधारा 42(B) के तहत राज्यहित में सिवायचक घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार सुमेरपुर को आदेशित किया जाता है कि वे विधि के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर उक्त घोषित 1/4 हिस्सा भूमि से सवर्ण जाति के काबिज व्यक्तियों को बेदखल करके कब्जा राज्य सरकार के हित में लिया जाकर राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद करे और इस घोषित हिस्सा भूमि को प्रति वर्ष कृषि कार्य प्रयोजन व व्यवस्था हेतु नियमानुसार निलामी कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे व इस न्यायालय को समय–2 पर अवगत् कराया जावे। निर्णय की सत्यापित प्रति तहसीलदार सुमेरपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय बरोज आज दिनांक 15.11.2016 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,
सुमेरपुर(पाली)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner